न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17/2011 (उदयपुर डिक्री)

1. मंगला पिता पेमा जी मीणा, निवासी पडुणा फला, उपला खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नानजी पिता पेमा जी मीणा, निवासी पडुणा फला, उपला खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. वेला पिता पेमा जी मीणा, निवासी पडुणा फला, उपला खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गुंजा पिता कम जी मीणा, निवासी गोज्या (मृतक) के बजाय :–
   1/1. शंकर पिता स्व. कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
   1/2. कालू पिता स्व. कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
   1/3. केसा पिता स्व. कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
   1/4. रूपा पिता स्व. कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
   1/5. वाला पिता स्व. कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
2. अमरा पिता कम जी मीणा, निवासी गोज्या (मृतक) के बजाय :–
   2/1. थावरा पिता अमरा मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा
3. मु0 वेसु पुत्री पिता कम जी मीणा, निवासी गोज्या, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भारत सरकार जरिये राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. परियोजना निदेशक, नेशनल हाईवे ऑर्थोरिटी, 6 सरदारपुरा, उदयपुर।
6. भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. उपतहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 08.04.2010 प्र. सं. 18/03

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1, 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं.6,7

———:::———

निर्णय दिनांक 31–01–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पडूणा में आराजी नंबर 1254 रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि स्थित है। वादीगण अपने बाप–दादाओं के समय से पिछले 100 वर्षो से निरन्तर उक्त भूमि पर काबिल चले आ रहे हैं तथा चारों ओर पत्थर की कोट व बाड़ वादीगण के पिता के वक्त से बनी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गांव गोज्या के रहने वाले हैं तथा कभी भी प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता कमजी उक्त भूमि पर काबिज नहीं रहे। प्रतिवादीगण के पिता कमजी ने संवत् 2012 के जेठ विद तेरज में वादीगण के पिता पेमा जी को 15/– रूपये में उक्त भूमि का बिकाव कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, परन्तु वादीगण व उनके पिता अनपढ़ होने से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सके। वादीगण ने भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया, परन्तु उक्त भूमि का कुछ भाग सड़क में जाने से मुआवजा राशि के लाभ के कारण वादीगण के खाते दर्ज करने से मना कर दिया। अतएवं वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगणों के बाप–दादाओं के वक्त से कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण पिछले 100 सालों से लगातार आज तक काबिज हैं तथा वादीगण फसले बोते काटते आ रहे हैं जिसका पड़ोस वादपत्र में अंकित है ? ..... वादीगण
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता कमजी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा लेकिन भूमि कमजी के नाम पर गलत दर्ज हो जाने के कारण कमजी पिता वाला मीणा ने सवंत् 2012 के जेठ विद तेरस से वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता को विक्रय कर दी। तब से

वादीगण व उसके पिता हैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे हैं ?.. वादीगण

3. आया विकल्प में वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगणों से कब्जा प्राप्त करने की मयाद भी समाप्त हो चुकी है ? ..... वादीगण

4. आया वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि आबादी में जाने से उसके मुआवजे की राशि भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

5. आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

6. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 08–04–2010 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–02–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ ग्रामीण कृषक होकर दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं तथा उन्हें उक्त निर्णय का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हर पेशी पर नहीं आते थे न ही उनका आना आवश्यक था तथा पिछले 9 माह से बीमार था। करीब 10 दिन पूर्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तब उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में खण्डित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–04–2010 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी मयाद दिनांक 07–06–2010 होती है, परन्तु यह अपील उससे भी 8 माह बाद दिनांक 15–02–2011 को प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो आधार लिए हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा जो प्रमुख उजर लिये गये वह यह हैं कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर बहुत पुराना कब्जा है तथा उसके पिता द्वारा यह भूमि संवत् 2012 में क्रय की गयी है। अतएवं प्रतिकूल कब्जे एवं विक्रय के आधार पर उसे खातेदार माना जाये।

→ वस्तुतः प्रतिकूल कब्जे व विक्रय दोनों विरोधाभाषी प्लीडिंग्स हैं तथा वादीगण द्वारा भूमि का क्रय संवत् 2012 अर्थात सन् 1955 में किये जाने के बाद वर्ष 2003 में अर्थात 48 वर्षा बाद यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है। घोषणात्मक वाद के लिए हालांकि कोई मयाद निहित नहीं है, परन्तु 48 वर्षो से वादीगण का मौन रहना निसंदेह संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा सिर्फ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिससे कब्जा प्रमाणित नहीं माना जा सकता। हालांकि 100/– रूपये से कम का विक्रय पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, परन्तु उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन बाबत् किसी स्वतंत्र व्यक्ति की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतएवं अपंजीकृत विक्रय पत्र का प्रमाणन एवं निष्पादन भी प्रमाणित नहीं होता है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का घोषणात्मक वाद जो खारिज किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–04–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मंगला पिता पेमा जी मीणा, निवासी पडुणा फला, उपला खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**गुंजा मृतक के बजाय शंकर पिता कमजी मीणा, निवासी गोज्या, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**04**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा** .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–04–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।